

(23)

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग


अधिसूचना

अधि०सं०-भ०/स्था०-विविध-१२/०५ (पार्ट-१)...११३१.०५ राँची, दिनांक-...२५/११/२०२०

सूचना के अधिकार अधिनियम-२००५ की धारा-०५ में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-४५२(भ०) दिनांक-०६.०३.२०१९ के द्वारा श्री इग्नेस खाखा, उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, जो जनसूचना पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग (मुख्यालय) के रूप में अभिहित थे, के स्थान पर निम्न रूप से जनसूचना पदाधिकारी को अभिहित किया जाता है:-

१. जनसूचना पदाधिकारी - श्री घरशोभित पंडित,
अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
२. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
३. प्रस्ताव पर सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


सरकार के संयुक्त सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक- ११३१ (०५)

राँची, दिनांक-...२५/११/२०२०


प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक- ११३१ (०५)

राँची, दिनांक-...२५/११/२०२०

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, राज्य सूचना आयोग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी आयुक्त/सभी पुलिस अधीक्षक/अभियन्ता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी अधीक्षण अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन-सह-कय का कार्यालय, राँची/सभी कार्यपालक अभियन्ता/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव/ सम्बंधित पदाधिकारी/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।